संख्या-2/781/35-3-2014-1(72)/20110

प्रेषक ,
नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
गिरि विकास अध्ययन संस्थान ,
अलीगंज, उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 03 दिसम्बर, 2014

विषयःवित्तीय वर्ष 2013-14 में गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ की स्थायी निधि (कारपस फण्ड) से अर्जित ब्याज से पूंजीगत एवं राजस्व मदों हेतु धनराशि के आहरण एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी आई डी एस/2256/14,दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ की स्थायी निधि (कारपस फण्ड) संचालन नियमावली-1999 के नियम-9 की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 में कारपस फण्ड से अर्जित ब्याज रू0- 16,41,684 (रू0 सोलह लाख इकतालीस हजार छः सौ चौरासी मात्र) के 2/3 भाग रू0 10,94,456.00 तथा गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत एवं उपभोग हेतु अवशेष धनराशि रू0 3,71,741.00 को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 14,66.197/- के सापेक्ष पूर्णांकित धनराशि रू0 14,66,000.00 (रू0 चौदह लाख छियासठ हजार मात्र) की धनराशि गिरि विकास अध्ययन संस्थान,लखनऊ की स्थायी निधि (कारपस फण्ड) सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित तथा शासी मण्डल द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की मदों हेतु आहरण की अनुमति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतदद्वारा प्रदान की जाती है:-

पूंजीगत व्यय		धनराशि (लाख रू0 में)
1-	पुस्तकालय की पुस्तकों के क्रय पर व्यय	2.50
2-	कम्प्यूटर यू0पी0एस0 सहित-4	1.60
3-	वाटर कूलर-2	0.73
4-	फोटो कापियर मशीन पुस्तकालय हेतु-1	2.10
5-	एल0सी0डी0 प्रोजेक्टर सेमीनार हाल हेतु-1	0.40
	योग-	7.33
राजस्व व्यय		
1-	पुस्तकालय में ई0 जर्नेल्स सुविधा हेतु फीस (सब्सक्रिप्सन)	0.85
2-	ब्रोड बैंड तथा डाटा-वन इन्टरनेट उपलब्धता पर व्यय	1.25

http://shasanadesh.up.nic.in

3-	संस्थान की वेबसाइट के रख-रखाव पर व्यय	0.48
4-	सांख्यिकीय डाटा उपलब्धता हेतु इण्डिया स्टेट डाट काम मो वार्षिक सदस्यता शुल्क	0.40
5-	संस्थान के कम्प्यूटर प्रिन्टसे इत्यादि के रख-रखाव एवं एण्टीवायरस साफटवेयर के क्रय आदि हेतु	0.80
6-	लेक्चर एवं वर्कशाप आदि पर व्यय	2.20
7-	फोटोकापी मशीन के वार्षिक रख रखाव पर व्यय	0.45
8-	भूतल से पुस्तकालय तृतीय तल तक जाने आने वाली लिफट के वार्षिक रख रखाव पर व्यय	0.50
9-	सेमिनार आदि में सम्मिलित होने हेतु यात्रा भत्ता व्यय	0.40
	योग-	7.33
		(रू0 चौदह लाख छियासठ हजार मात्र)

<u>शर्तें एवं प्रतिबन्ध :-</u>

क- उपर्युक्त आहरित धनराशि का व्यय स्थायी निधि संचालन नियमावली-1999 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

ख- स्थायी निधि नियमावली के नियम-14 एवं 15 की व्यवस्था के अनुसार मदवार व्यय के सम्बन्ध में संस्थान के निदेशक मण्डल एवं स्थायी निधि सलाहकार समिति का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

ग- शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु बैंक से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी,जिसके भुगतान की तात्कालिक आवश्यकता हो।

घ- उक्त धनराशि को जिन कार्यक्रमों/गतिविधियों पर व्यय किया जायेगा,उनकी प्रगति एवं मदवार व्यय की रिपोर्ट प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही संस्थान के निदेशक द्वारा तैयार की गयी वर्ष भर की शैक्षणिक कार्यक्रमों की रूपरेखा दिनांक 31 मार्च, 2015 तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

च- उपकरणों को क्रय करते समय स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

छ- उपभोग की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र स्थायी निधि नियमावली-1999 के नियम-8 के प्राविधान के अनुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं उसकी प्रति आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक को भी प्रेषित की जायेगी।

ज- उक्त धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यक्रमों/मदों पर किया जाए जो अन्य किसी स्रोत से पोषित न हों अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति **(Duplicacy)** न हो।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव

http://shodhsindhu.up.nic.in

संख्या- 2/781/35-3-2014,तददिनांकं

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पे्षित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर(आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम, सत्यनिष्ठ भवन,15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5- आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम सुन्दर)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in